



Neutral Citation No. - 2026:AHC:177602

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 4594

सन् 2026

मनीषा पांडे उर्फ मनीषा उपाध्याय

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : आशुतोष कुमार सिंह

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. इस न्यायालय ने दिनांक 13.05.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष कुमार सिंह और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें अभी तक निर्देश नहीं मिला है, इसलिए वे समय मांग रहे हैं।

3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता अंतरिम अग्रिम जमानत की मांग कर रहे हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. यह प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 244 सन् 2024 के अन्तर्गत धारा 420, 406, भारतीय दंड संहिता, थाना- जॉर्ज टाउन, ज़िला- प्रयागराज में अग्रिम ज़मानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

5. अभियुक्त आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक 3.7.2023 की घटना के लिए दिनांक 5.10.2024 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचनाकर्ता ने अभियुक्त आवेदिका को झूठा फंसाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप है कि अभियुक्त आवेदिका ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर कोचिंग संस्थान चलाने के नाम पर सूचनाकर्ता से 20/- लाख रुपये की धोखाधड़ी की, लेकिन पैसे लगाने के बावजूद उसे पार्टनर नहीं बनाया गया। आगे यह भी कहा गया है कि मुख्य अभियुक्त, अभियुक्त आवेदिका का पति है। सूचनाकर्ता, अभियुक्त आवेदिका का रिश्तेदार है। प्रकरण कोचिंग संस्थान चलाने से जुड़ा है, जिसमें पैसे लेने, उसे वापस न करने और धोखाधड़ी के आरोप हैं। घटना में अभियुक्त आवेदिका की कोई भूमिका नहीं है। मुख्य अभियुक्त की पत्नी होने के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। इसी घटना से जुड़ा एक आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज है। अभियुक्त आवेदिका जांच में सहयोग करना चाहती है, लेकिन उसे गिरफ्तारी का डर है। इसलिए, वह अंतरिम अग्रिम ज़मानत की मांग कर रही है।

6. अग्रिम ज़मानत का दायरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन अहम फैसलों में बताया गया है: गुरुबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य जो (1980) 2 एससीसी 565 में प्रकाशित है, सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य जो (2011) 1 एससीसी 694 में प्रकाशित है, और सुशीला अग्रवाल व अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) व अन्य जो (2020) 5 एससीसी 1 में प्रकाशित है, इन फैसलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम ज़मानत प्रदान करते समय, न्यायालय को आवेदक के प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए गिरफ्तारी के खतरे या आशंका का मूल्यांकन आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक का आपराधिक इतिहास, झूठा या बढ़ा-चढ़ाकर लगाए गए आरोप, अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता, आवेदक की विवेचना एवं विचारण में सहयोग करने की इच्छा तथा आवेदक के आचरण एवं फरार होने के जोखिम जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।



7. यह अदालत प्रकरण में दलीलों, आरोपों की गंभीरता और गिरफ्तारी की आशंका के साथ-साथ अभियुक्त के भागने का कम जोखिम और विवेचना और विचारण में सहयोग करने के उसके आश्वासन पर विचार करते हुए, उसे अंतरिम जमानत देने के विचार पर पहुंची है।

8. उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदिका - **मनीषा पांडे उर्फ मनीषा उपाध्याय** को इस आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर संबंधित विचारण न्यायालय या विवेचना अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा। उन्हें अगली तारीख तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 25,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि का दो जमानतदार पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

(i) आवेदिका सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी और तय तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगी, जब तक कि संबंधित न्यायालय उसे छूट न दे।

(ii) आवेदिका प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।

(iii) आवेदिका विचारण के दौरान सहयोग करेगी और जमानत की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी।

(iv) आवेदिका संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।

(v) आवेदिका अंतरिम अग्रिम जमानत मिलने के कारण विवेचना अधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

9. किसी भी शर्त का पालन न होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदिका को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत को निरस्त कराने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. इस प्रकरण को दिनांक 7.8.2026 को सूचीबद्ध करें।



11. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे अगली तारीख तक आवश्यक निर्देश प्राप्त कर लें।"

2. आज, जब प्रकरण की सुनवाई शुरू हुई, तो विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, ने बताया कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं।

3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, को सुना गया।

4. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष पहले दी गई उन दलीलों को दोहराया, जो दिनांक 13.05.2026 के पिछले आदेश में दर्ज हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदिका का एक अन्य प्रकरण का आपराधिक इतिहास है, तथापि, उस प्रकरण में वह अग्रिम जमानत पर है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, ने अग्रिम जमानत देने प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन वे अपने आपराधिक इतिहास के बारे में आवेदिका द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को गलत नहीं ठहरा सके।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

7. आवेदिका का कहना है कि वह एक गृहिणी है। आवेदिका का आपराधिक इतिहास उन्हीं तथ्यों पर आधारित बताया गया है और वह उस प्रकरण में अग्रिम जमानत पर है। आवेदिका पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 के तहत अपराध का आरोप है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2024) 10 एससीसी 690 प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि आपराधिक न्यासभंग और धोखाधड़ी के अपराध एक साथ नहीं हो सकते। आवेदिका इस न्यायालय के आदेशों के तहत अंतरिम अग्रिम जमानत पर थी और यह नहीं कहा गया है कि उसने इस न्यायालय द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है।

8. ऊपर बताई गई प्रकरण की सभी बातों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदिका का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. आवेदिका को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को इसके द्वारा पुष्ट किया जाता है। ऊपर बताए गए प्रकरण में आवेदिका - **मनीषा पांडे उर्फ मनीषा उपाध्याय** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे उसी शर्तों और नियमों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो दिनांक 13.07.2026 के पिछले आदेश में तय की गई थीं।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

21 अगस्त, 2026

कुशल